



Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

### COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या 15-4/33/85-ओ एंड (वॉल्यूम -IV)

No.

दिनांक : 19 फरवरी, 2018

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी

Chief Vigilance Officer

To

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्राशासन नियंत्रक/ प्राशासन नियंत्रक/ प्राशासनिक अधिकारी

**विषय : केन्द्रीय सिविल (आचरण)नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणियों का प्रस्तुतीकरण-प्रमाण पत्र भेजने हेतु।**

महोदय,

मुझे यह कहना है कि इस कार्यालय ने उपर्युक्त विषय के बारे में समय समय पर अनेक परिपत्र जारी किये हैं, इसे एक बार पुनः आपकी सूचना और कार्यवाही हेतु दोहराया जाता है।

परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा है कि वे अपनी अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण देते हुए वर्ष 2017 का वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करें। यह सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की निगरानी एवम जाँच हेतु बनाया गया एक तंत्र है।

कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने अवगत कराया है कि कुछ कर्मचारियों ने अभी तक अपना अचल संपत्ति विवरण नहीं दिया है इस सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि आप DoPT OM No.11012/11/2007-Estt. A dated 27.09.2011 द्वारा जारी दिशा निर्देश सभी संबंधितों के संज्ञान में पुनः लायें जिसके अनुसार यदि पिछले वर्ष का संपत्ति विवरण अगले (वर्तमान) वर्ष की 31 जनवरी तक नहीं दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारियों को सतर्कता अन्नापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

आप से अनुरोध है कि 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये सम्बंधित कर्मचारियों से सालाना संपत्ति विवरण प्राप्त करें और यथाशीघ्र उनकी जाँच करें तथा ऐसी कार्यवाही कर लिए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सालाना संपत्ति विवरणों की जाँच की गई और कोई भी प्रतिकूल विवरण नहीं पाया गया। इस प्रमाण पत्र के साथ- साथ वरिष्ठ प्राशासन नियंत्रक/ प्राशासन नियंत्रक जहाँ प्राशासन नियंत्रक नहीं है वहाँ प्राशासनिक अधिकारी तथा निदेशक की 2017 की अचल संपत्ति विवरण की प्रतियाँ जाँच के लिए इस कार्यालय को भिजवाएं।

तथापी, यदि जाँच के दौरान किसी अधिकारी (अधिकारियों) की आय से अधिक संपत्ति का मामला प्रथम दृष्टया नोटिस में आता है तो विवरणों (विवरणियों) के बारे में सम्बंधित अधिकारी(अधिकारियों) से प्राप्त स्पष्टीकरण और आपकी विशिष्ट टिप्पणीयाँ सहित आगे की कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी को भिजवाई जाए।

भवदीय,

(मेजर राणा विक्रम सिंह)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रति :

1. उप सचिव (के.का.)/एचआर-I/ एचआर-III, सीएसआईआर/उप-सचिव (सीएसआईआर काम्प्लेक्स)
2. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर : इस पत्र को सीएसआईआर वेबसाइट पर डालने हेतु
3. कार्यालय प्रति





Phone : 23710519

Fax : (91-11) 23730937, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

**COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH**

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या

No.15-4/33/85-O&M(Vol.IV)Dated:

Feb., 19/2 2018

No.

प्रेषक

From

मुख्य सतर्कता अधिकारी  
Chief Vigilance Officer

To

Sr. COAs/COAs/AOs of all the Labs/Instts.

**Sub.** Submission of Annual Property Returns for the year 2017 by Group 'A' & 'B' Officers under Rule 18(1)(ii) of the CCS(Conduct) Rules, 1964 – furnishing of certificate – reg.

Sir,

I am to state that this office has issued number of circulars from time to time on the above subject, which is once again reiterated for your information and necessary action.

In accordance with Rule 18(10)(II) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 as made applicable to the Council employees, officers holding Group 'A' & 'B' posts are required to submit an annual report giving full particulars regarding his/her immovable property. It is a mechanism put in place by Govt. to monitor & check corruption, if any,

some of the Labs./Instts. have informed that some employees have yet to submit their annual property return. In this connection DoPT OM No.11012/11/2007-Estt. A dated 27.09.2011 may please brought to the notice of all concerned in which Vigilance Clearance shall be denied to an officer if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31<sup>st</sup> January of the following year.

It is requested to kindly obtain the annual property returns from the concerned employees for the year ending 31<sup>st</sup> December, 2017 and scrutinize the same at the earliest. A certificate that this exercise has been undertaken and nothing adverse has been noted, along with copies of immovable property returns of the COA or the AO, where COA is not in position, and of the Director may be sent to this office for scrutiny.

However, if any prime-facie case of officers(s) in possession of disproportionate assets comes to notice during scrutiny, the returns(s) in question, the explanations obtained from the concerned officers(s), and your specific comments may kindly be sent to the undersigned immediately for further action.

Further, As per DoPT OM dated 27.09.2011 Vigilance clearance shall be denied to an employee if he fails to submit his annual immovable property return of the previous year by 31<sup>st</sup> January of the following year as required under Govt. of India decisions under Rule 18 of the Central Civil Services (Conduct Rule), 1964.

Yours faithfully,

(Major Rana Vikram Singh  
Chief Vigilance Officer)

Copy to :

1. Sr.DS(CO)/HR-I, HR-III, CSIR Hqrs./DS(CSIR Complex/HRDG)
2. IT Division, CSIR Hqrs. For placing this letter on CSIR website.
3. Office Copy